



कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

(संयुक्त वन भवन कार्यालय चाईबासा, पो-चाईबासा, पो सिंहभूम,
पिन-833201) दूरभाष-06582-256332 (0)Mail.gov.in-cf-chaibasa@gov.in



पत्र संख्या: CHAI/MIN/.....998.....

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-
कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

चाईबासा, दिनांक - 08-06-2022

विषय :- श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजिनियरिंग लिमिटेड मौजा-बड़ाजामदा जिला- पश्चिमी सिंहभूम में स्थित स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा का पत्रांक 806 दिनांक 12.05.2022 तथा पत्रांक 902 दिनांक 31.05.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजिनियरिंग लिमिटेड मौजा-बड़ाजामदा जिला- पश्चिमी सिंहभूम में स्थित स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन की स्वीकृति हेतु प्रयोक्ता अभिकरण मेसर्स बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजिनियरिंग लिमिटेड, बड़ाजामदा के द्वारा अपयोजन प्रस्ताव प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित किया गया, जिसे वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा के पत्रांक 806 दिनांक 12.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रस्ताव की 07 (सात) प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया था। विषयक प्रस्ताव के संचिका पर अनुमोदन हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक 895 दिनांक 21.05.2022 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर को भेजा गया था। विषयक अपयोजन प्रस्ताव पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर के ज्ञापांक 978 दिनांक 30.05.2022 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी। उक्त पृच्छाओं के निराकरण हेतु इस कार्यालय के स्तर से वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा को निदेशित करते हुए प्रस्ताव की सभी 07 (सात) प्रतियाँ वापस लौटायी गयी।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा के पत्रांक 902 दिनांक 31.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पुनः प्रस्ताव की 07 (सात) प्रतियाँ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया है।

प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है:-

- वनभूमि अपयोजन संख्या-FP/JH/ENCRH/42933/2019 है।
- प्रस्ताव के साथ Form-A, Part-I में प्रयोक्ता अभिकरण (बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजिनियरिंग लिमिटेड, बड़ाजामदा) द्वारा विहित प्रपत्र में वांछित सूचनायें दर्ज की गई है (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-01 से 09)।
- चाईबासा वन प्रमण्डल अर्न्तगत अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि (जंगल-झाड़ी) का रकवा एवं वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :-

वन प्रमण्डल का नाम	सुरक्षित वन (हे०) PF	जंगल-झाड़ी किस्म की भूमि (हे०)	कुल (हे०)
चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	0	1.66	1.66

4. प्रस्ताव के साथ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा का मन्तव्य Part-II में दर्ज है। (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 12 से 13)।

Part-II के कण्डिका संख्या 11 के सन्दर्भ में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल के पत्रांक 902 दिनांक 31.05.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि Parivesh Portal के कण्डिका संख्या- 11(i) में Yes अंकित करने के उपरान्त कण्डिका संख्या- 11(i) के a, b तथा c में प्रविष्टि अंकित करने का Option नहीं दिये जाने के कारण वांछित सूचना अंकित नहीं की गयी है। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित Detailed note on project (पृष्ठ संख्या- 14) में उक्त परियोजना के दिनांक 09.03.2005 से क्रियान्वित होने की सूचना दी गयी है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि सम्पूर्ण आवेदित वनभूमि (जंगल-झाड़) का कुल रकवा 1.66 हे० अतिक्रमण के श्रेणी में आवेदित है तथा वर्ष 2005 से आज तक (17 वर्षों से) कार्यरत है।

5. Detailed note on project प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 14 से 15 में संलग्न है।
6. 1:50000 स्केल के Toposheet पर लोकेशन मैप तथा अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि (जंगल-झाड़ी) का Geo-referenced map प्रस्ताव में संलग्न है (Plate- I to IV) (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 16)।
7. चाईबासा वन प्रमण्डल अन्तर्गत अपयोजित होनेवाली वनभूमि (जंगल-झाड़ी) की विवरणी प्रस्ताव में संलग्न है, गैर वन भूमि से संबंधित विवरणी एवं अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी द्वारा निर्गत सत्यापित Land Schedule प्रस्ताव में संलग्न है (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 40 से 45)।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA के लिए आवश्यक राशि जमा करने के संबंध में वचनबद्धता दी गई है (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-47)।
9. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के तहत उपायुक्त से निर्गत दावा रहित प्रमाण पत्र समर्पित करने के संबंध में वचनबद्धता समर्पित की गई है। (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-55)।
10. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुशंसा प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-10-11)।
11. प्रस्तावित स्पंज आयरन प्लांट हेतु कुल 1.66 हे० अपयोजित होने वाली वनभूमि (जंगल-झाड़ी) के एवज में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्नांकित विवरणी में वर्णित गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है:-

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम जिसे गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है	उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि की विवरणी				
		मौजा का नाम	थाना / थाना सं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6	7
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।	सेमरकोढ़ी	पीरटांड-43	45	51 52 53 56 58	1.07 0.51 0.90 0.95 0.68
कुल :-						4.11 एकड़ (1.66 हे०)

12. गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल में चिन्हित गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु CA Land Suitability Certificate एवं स्थल विशिष्ट 10 वर्षीय प्राक्कलन की प्रति संलग्न है (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-81 से 86)। उक्त क्षतिपूरक वनरोपण स्थल का KML File प्रस्ताव के साथ CD में संलग्न है।

13. प्रस्ताव के साथ लागत लाभ विश्लेषण (Cost Benefit Analysis) संलग्न है (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-48 से 54)।
14. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि (जंगल-झाड़ी) किसी नेशनल पार्क, वन्य प्राणी आश्रयणी अथवा टाईगर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। परंतु पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सभी वनों को सिंहभूम गज आरक्ष्य के रूप में घोषित किया गया है।
15. Form A के Part-I के बिंदु संख्या H में Status of Environmental Clearance में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा NO अंकित किया गया है। Ministry of Environment and Forests, Govt. of India के द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2006 को निर्गत अधिसूचना में List of Projects or activities requiring Prior Environmental Clearance में Sponge Iron manufacturing <200TPD को Category with threshold limit B में रखा गया है। उक्त के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से कारण पृच्छा की गई। उक्त पृच्छा के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा जवाब दिया गया है कि "The Sponge Iron Plant of M/s Shri Balaji Industrial Engineering Ltd. was installed & commissioned during the year 2005 and the company has obtained NoC from Jharkhand Pollution Control Board vide letter no. N-173 dated 09.03.2005 (Copy attached as Annexure-I). Therefore, EP Act of 14th Sep 2006 is not applicable". (प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा समर्पित जवाब की छायाप्रति संलग्न पृष्ठ संख्या 87 से 90)।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त तथ्यों के आलोक में विषयगत वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन के प्रस्ताव को निम्न शर्त के साथ अग्रसारित किया जा रहा है:-

- I. प्रयोक्ता संस्थान को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक राशि, NPV राशि, Penal NPV की राशि इत्यादि अन्य Compensatory Levies का भुगतान करना होगा।
- II. चाईबासा वन प्रमण्डल का संपूर्ण अधिसूचित वन क्षेत्र सिंहभूम गज आरक्ष्य के रूप में अधिसूचित है। अतः एक स्थल विशिष्ट वन्य प्राणी प्रबंधन योजना (Site Specific Wildlife Management Plan) का सूत्रण एवं वन विभाग की देख रेख में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रयोक्ता अभिकरण की होगी।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा से प्राप्त प्रस्ताव की 05 (पाँच) प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

इस प्रस्ताव के सन्दर्भ में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

अनु०:यथोक्त

आपका विश्वासी

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

Part-III

(To be filled by the concerned Conservator of Forest)

17. Whether the site where the forest land involved is located has been inspected by concerned Conservator of Forest (Yes/No) if yes, the date of inspection and observation made in form of inspection note to be enclosed.	No
18. Whether the concerned Conservator of Forest agrees with the information given in part-II and recommendation of Deputy Conservator of Forests.	Yes
19. Specific recommendation of concerned Conservator of Forests for acceptance or otherwise the proposal with detailed reasons.	The applied forest land is GM Jungle Jhar and is already a part of the existing established sponge iron unit. Hence, the proposal is recommended for necessary action.

Name:- (MamtaPriyadarshi) I.F.S.

Designation:-

Date:-

Mamta
8/06/2022

MAMTA PRIYADARSHI (IFS)
Conservator of Forests
Territorial Circle, Chaibasa